

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

सेवा में,

निदेशक,  
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,  
ननूरखेडा, देहरादून।

पत्रांक/प्रा०शि०-2/ 2172-76 / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक 25 जून 2019

विषय:-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण 2019 में स्थानान्तरित हुये शिक्षकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण 2019 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अनिवार्य स्थानान्तरण एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित हुये शिक्षकों की सूची ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

अतः महोदय से निवेदन है कि स्थानान्तरित हुये शिक्षकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०)  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।  
उक्तंकित।

पृ०सं०/प्रा०शि०-2/ 2172-76 / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20, दिनांक उक्तंकित।  
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
2. अपर निदेशक, प्रा०शि०, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टि०ग० नरेन्द्रनगर।
4. समस्त उपशिक्षा अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
5. कार्यालय पत्रावली।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ **235** /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक- **25**, जून 2019

**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1-	श्रीमती दीपा डंगवाल	रा०प्रा०वि० दिखोलगांव, चम्बा टि०ग०।	रा०प्रा०वि० बमराड़ी, थौलधार टि०ग०।	रिक्त पद के प्रति
2-	श्रीमती कुसुम भट्ट	रा०प्रा०वि० कोकलियालगांव, जौनपुर टि०ग०।	रा०प्रा०वि० पटुड़ी, जाखणीधार टि०ग०।	रिक्त पद के प्रति
3-	श्रीमती सीता पंवार	रा०प्रा०वि० बंग्लो की कांडी, जौनपुर टि०ग०।	रा०प्रा०वि० ओन्तण, जौनपुर टि०ग०।	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी  
दिनांक- उक्तांकित।

पृ०सं०/ प्रा०शि०-2/ **2052-60** /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी

**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 234 /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक-25, जून 2019

**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अतर सिंह	रा०प्रा०वि० देवनधंसी जौनपुर	रा०प्रा०वि० मौण, नरेन्द्रनगर	रिक्त पद के प्रति
2	श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी	रा०प्रा०वि० खोला बडियार कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० मंगसू कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
3	गम्भीर सिंह नेगी	रा०प्रा०वि० मन्जूली डागर कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० गजा चम्बा	रिक्त पद के प्रति
4	श्री मोर सिंह बंगारी	रा०प्रा०वि० कोटी (नवीन) डागर कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० उठड, जाखणीधार	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक साप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, टिहरी।

पृ०सं० / प्रा०शि०-२ / २०४३-५१ / वार्षिक स्थानान्तरण / २०१९-२०  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक- उक्तांकित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- ३- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- ४- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ५- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- ६- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- ७- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी / सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- ८- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- ९- सम्बन्धित कार्मिक।
- १०- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, टिहरी।

# कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 237 / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक- 25, जून 2019

## अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती नाजमा बेग	रा०प्रा०वि० किरगणी थौलधार	रा०प्रा०वि० कण्डालगांव जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती रेखा कोटियाल	रा०प्रा०वि० कोटी भरपूर देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० महरकाण्डा देवप्रयाग टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती रंजना सजवाण	रा०प्रा०वि० चम्बा	रा०प्रा०वि० मुयालगांव, भिलंगना टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती ममता पाण्डेय	रा०प्रा०वि० सिमस्वाड़ा देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० क्यारा नरेन्द्रनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती मंजू मखलोगा	रा०प्रा०वि० मन्ज्यूड़ चम्बा	रा०प्रा०वि० पसनी, चम्बा टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती जैबुल निशा	रा०प्रा०वि० छोटा स्यूटा चम्बा	रा०प्रा०वि० भुयांसारी, जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती सीता असवाल	रा०प्रा०वि० हडम	रा०प्रा०वि० मदननेगी जाखणीधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती किरन नेगी	रा०प्रा०वि० बगासूधार चम्बा	रा०प्रा०वि० कोटीजुवा, थौलधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती मैराज बानो	रा०प्रा०वि० डिबनू चम्बा	रा०प्रा०वि० डांग जुवा, थौलधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती मुनीजा खातून	रा०प्रा०वि० छोलगांव जाखणीधार	रा०प्रा०वि० तिमली टोलकी, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
11	मनमोहन सिंह रांगड	रा०प्रा०वि० खारासोत नरेन्द्रनगर	रा०प्रा०वि० फर्शुपाणी न०नगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती सुनयना बिजल्वाण	रा०प्रा०वि० शीशमझाडी नरेन्द्रनगर	रा०प्रा०वि० बांसकाटल न०नगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।  
दिनांक- उक्तांकित।

पृ०सं०/ प्रा०शि०-2/ 2070-78/वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कौषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कौषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।


**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 240 /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक-25, जून 2019

**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन तैनाती वाले विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नियाज मोहम्मद	रा०प्रा०वि० भवान जौनपुर	रा०प्रा०वि० केमरगांव चम्बा	रिक्त पद के प्रति
2	सन्तोष जोशी	रा०प्रा०वि० गवाणा नगर कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० कोटी फेगुल भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
3	रुखसार असवाल	रा०प्रा०वि० किगोई जौनपुर	रा०प्रा०वि० गुनोगी बमुण्ड चम्बा	रिक्त पद के प्रति
4	मकान सिंह	रा०प्रा०वि० पारीपैण्डुला कीर्तिनगर	रा०प्रा०वि० पोखरी, न०नगर	रिक्त पद के प्रति
5	सत्येन्द्र सिंह	रा०प्रा०वि० हटवालगांव जौनपुर	रा०प्रा०वि० नकोट, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती भगवती कोटनाला	रा०प्रा०वि० डांडा जौनपुर	रा०प्रा०वि० मोटणाधार चम्बा	रिक्त पद के प्रति
7	सरस्वती रावत	रा०प्रा०वि० तन्दील न०नगर	रा०प्रा०वि० कोटी न०नगर	रिक्त पद के प्रति
8	मीना कुकरेती	रा०प्रा०वि० जमठियालगांव जौनपुर	रा०प्रा०वि० खाण्ड चम्बा	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती कुसुमलता	रा०प्रा०वि० खरसोन जौनपुर	रा०प्रा०वि० थौलधार,	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती लक्ष्मी काला	रा०प्रा०वि० सतेंगल जौनपुर	रा०प्रा०वि० ललोटना, जौनपुर	रिक्त पद के प्रति
11	श्रीमती कमलेश ध्यानी	रा०प्रा०वि० सुरांशु जौनपुर	रा०प्रा०वि० कुदाऊं जौनपुर	रिक्त पद के प्रति
12	अनिल कुमार	रा०प्रा०वि० जमठियालगांव जौनपुर	रा०प्रा०वि० बहेड़ा भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
13	श्रीमती नीलम	रा०प्रा०वि० नवागांव जौनपुर	रा०प्रा०वि० घरगांव, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
14	श्रीमती सुनीता उनियाल	रा०प्रा०वि० मैराफ जाखणीघार	रा०प्रा०वि० मंज्याडगांव चम्बा	रिक्त पद के प्रति
15	संगीता रोहिल्ला	रा०प्रा०वि० ख्यासी जौनपुर	रा०प्रा०वि० घोटी, भिलंगना	रिक्त पद के प्रति
16	रेखा असवाल	रा०प्रा०वि० मुंडाला न०नगर	रा०प्रा०वि० गजा चम्बा	रिक्त पद के प्रति
17	दिनेश रावत	रा०प्रा०वि० गंगसारगांव न०नगर	रा०प्रा०वि० दुवाकोटी चम्बा	रिक्त पद के प्रति
18	शकुन्तला मेवाड़	रा०प्रा०वि० कुण्डडी देवप्रयाग	रा०प्रा०वि० किराड़ा न०नगर	रिक्त पद के प्रति



वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ0सं0 / प्रा0शि0-2 / 2017-2105 / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक- उक्तांकित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।



**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ **236** /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक- **25**, जून 2019


**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री अवतार सिंह रागड	रा०उ०प्रा०वि० सिमलासू देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० किरोड देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
2	श्री लक्ष्मी प्रसाद कुकरेती	रा०उ०प्रा०वि० कोटी दुण्डसिर कीर्तिनगर	रा०उ०प्रा०वि० घिल्डियालगांव कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
3	श्री भगवान सिंह लिंगवाल	रा०उ०प्रा०वि० भादीखाल देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० बिडाकोट, देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
4	श्री जगदम्बा प्रसाद भट्ट	रा०उ०प्रा०वि० नसोगी नरेन्द्रनगर	रा०उ०प्रा०वि० साबली, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
5	श्री शम्भु सिंह पोखरियाल	रा०उ०प्रा०वि० पोखरी प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० तानगला, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती सुशीला नेगी	रा०उ०प्रा०वि० गड़ाकोट देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० धौलंगी कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
7	श्री खिला मिस्त्री	रा०उ०प्रा०वि० जरोला देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० सुन्दरियाणा, कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (सुदेश सिंह बिष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पू०सं० / प्रा०शि०-२ / २०६१-६९ / वार्षिक स्थानान्तरण / २०१९-२०

दिनांक- उक्तांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- ३- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- ४- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ५- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- ६- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- ७- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी / सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- ८- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- ९- सम्बन्धित कार्मिक।
- १०- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 238 /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक- 25, जून 2019

**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्रीमती अंजना सकलानी	रा०उ०प्रा०वि० कुमालडा जौनपुर	रा०उ०प्रा०वि० बांझाचक, जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती लता नेगी	रा०उ०प्रा०वि० भटोली जौनपुर	रा०उ०प्रा०वि० लंगड़ासू, जौनपुर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती प्रभा घिल्डियाल	रा०उ०प्रा०वि० गेंवली (देवल) जाखणीधार	रा०उ०प्रा०वि० पोखरी, प्रतापनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती आशा कण्डारी	रा०उ०प्रा०वि० तानगला चम्बा।	रा०उ०प्रा०वि० पाली पालकोट नरेन्द्रनगर टि०ग०	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती मधुबाला पंवार	रा०उ०प्रा०वि० नैल चम्बा।	रा०उ०प्रा०वि० पटुड़ी जाखणीधार टि०ग०	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ०सं०/ प्रा०शि०-2/ 2079-87 /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20

दिनांक- उक्तांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।

- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी / सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिखा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्यालय।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

## कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 239 /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक-25, जून 2019

### अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	शिक्षक का नाम	वर्तमान विद्यालय	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री देवी प्रसाद पैन्यूली	रा०उ०प्रा०वि० सौड़ मिलंगना	रा०उ०प्रा०वि० मोटणाधार, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
2	श्री जगदीश सिंह	रा०उ०प्रा०वि० बागी बनगढ़ देवप्रयाग	रा०उ०प्रा०वि० भोनाबागी चम्बा	रिक्त पद के प्रति
3	श्री भूर सिंह पंवार	रा०उ०प्रा०वि० खेतपाली प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० पाली काकड़ासारी नरेन्द्रनगर	रिक्त पद के प्रति
4	बृजमोहन पैन्यूली	रा०उ०प्रा०वि० तिनवालगांव प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० सुरसिंहधार, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
5	रणवीर सिंह बगियाल	रा०उ०प्रा०वि० गोलाणी प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० मुनेटबागी, देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
6	बचन सिंह असवाल	रा०उ०प्रा०वि० बैल्डोगी प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० गाजणा, चम्बा	रिक्त पद के प्रति
7	श्री जीत सिंह पंवार	रा०उ०प्रा०वि० बिजपुर प्रतापनगर	रा०उ०प्रा०वि० नैथाणा, कीर्तिनगर	रिक्त पद के प्रति
8	श्री जगदीश प्रसाद कोठियाल	रा०उ०प्रा०वि० माणदा चम्बा	रा०उ०प्रा०वि० बडेडा, नरेन्द्रनगर	रिक्त पद के प्रति
9	श्री पूरण सिंह बिष्ट	रा०उ०प्रा०वि० नीरी थौलधार	रा०उ०प्रा०वि० मजेपुर, जौनपुर	रिक्त पद के प्रति
10	श्री कुंवर सिंह रावत	रा०उ०प्रा०वि० गेंवली पाव जाखणीधार	रा०उ०प्रा०वि० घण्डियालधार देवप्रयाग	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, तिहरी।

पृ0सं0/ प्रा0शि0-2/ 2088-96 /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20

दिनांक- उक्तंकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

## कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ **243** /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक-**15**, जून 2019

### अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अनुरोध का प्रकार	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	श्रीमती मुन्नी पुण्डरी	रा०प्रा०वि० ब्यासी, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० हिण्डोलाखाल, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
2-	श्रीमती सरोजनी भण्डारी	रा०प्रा०वि० कैन्थोगी, थौलधार टि०ग०	रा०प्रा०वि० रौंदेली, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
3-	श्रीमती सरोजबाला सेमवाल	रा०प्रा०वि० पंयाकोटी, भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० भैंस्यारो, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (पांच)	रिक्त पद के प्रति
4-	श्री मदनपाल	रा०प्रा०वि० चपोली, देवप्रयाग टि०ग०	रा०प्रा०वि० खनाना नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
5-	श्रीमती गुड्डी रौतेला	रा०प्रा०वि० जाख नैलचामी भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० गैड, जौनपुर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
6-	श्रीमती कल्पना जोशी	रा०प्रा०वि० बैराईगांव, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० डांडा की बेली, जौनपुर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
7-	श्रीमती बबीता सोवंशी	रा०प्रा०वि० ओखलाखाल, प्रतापनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० भदनी, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
8-	श्री संजय कुमार गनेश	रा०आ०प्रा०वि० दुंग, जाखणीधार टि०ग०।	रा०प्रा०वि० कर्यादा, थौलधार टि०ग०।	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
9-	श्रीमती सुनीता सेलुरियाल	रा०प्रा०वि० पिलानीधार, प्रतापनगर टि०ग०	रा०आ०प्रा०वि० क्यारी जमुण्डा, प्रतापनगर	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
10-	श्री रोशन लाल	रा०प्रा०वि० पोखरियालगांव, प्रतापनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० भटवाड़ा मन्दार, जाखणीधार टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
- स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।


(सुदर्शन सिंह बिष्ट)  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पृ०सं० / प्रा०शि०-२ / २१५४-६२ / वार्षिक स्थानान्तरण / २०१९-२०

दिनांक- उक्तांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- ३- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- ४- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ५- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- ६- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- ७- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी / सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- ८- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- ९- सम्बन्धित कार्मिक।
- १०- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

  
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।



**कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल**

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 244 /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक-25, जून 2019

**::अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश::**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-


क्र० सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अनुरोध का प्रकार	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	श्री जयवीर सिंह	रा०प्रा०वि० भौणा, भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० मुनिकीरेती, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
2-	श्री राकेश पंवार	रा०प्रा०वि० बगर, भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० काण्डी ऐराडी, कीर्तिनगर टि०ग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
3-	श्री राजेश कुमार	रा०प्रा०वि० सेमली, भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० लामकोट, चम्बा टि०ग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
4-	श्रीमती रमा देवी	रा०प्रा०वि० चौपा, नरेन्द्रनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० डौर, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
5-	श्रीमती आभा उनियाल	रा०प्रा०वि० पाली, चम्बा टि०ग०	रा०प्रा०वि० गोट, जौनपुर टि०ग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
6-	श्रीमती बबली देवी	रा०प्रा०वि० जागधार, जाखणीधार टि०ग०	रा०आ०प्रा०वि० पौडीखाल, देवप्रयाग टि०ग०।	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
7-	श्रीमती दीपिका आर्य	रा०प्रा०वि० जणगी, प्रतापनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० पलाम चम्बा टि०ग०	17 ख (पांच)	रिक्त पद के प्रति
8-	श्रीमती प्रमिला	रा०प्रा०वि० लाटा, भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० थत्वूड, जौनपुर टि०ग०	17 ख (पांच)	रिक्त पद के प्रति
9-	श्री सुरेन्द्र दत्त	रा०प्रा०वि० ओखलाखाल प्रतापनगर टि०ग०	रा०प्रा०वि० तुनेटा, जौनपुर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
10-	श्री मनमोहन उनियाल	रा०प्रा०वि० करतल, थौलधार टि०ग०	रा०प्रा०वि० गैड, जौनपुर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
11-	श्री सुरेन्द्र सिंह	रा०प्रा०वि० गवाणा मल्ला, भिलंगना टि०ग०	रा०प्रा०वि० सेराअमाडी, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

*(Handwritten Signature)*


4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
 (सुदीप सिंह बिष्ट)  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

पू०सं०/ प्रा०शि०-२/ २१६३-७१ / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20  
 प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक- उक्तांकित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

  
 प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
 टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

## कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 241 / वार्षिक स्थानान्तरण / 2019-20 दिनांक-25 जून 2019

### ::अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश::

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापकों का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	सहायक अध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अनुरोध का प्रकार	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	श्री जगदीश प्रसाद	रा०उ०प्रा०वि० सुजड़गांव, प्रतापनगर टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० ओडारखेत, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
2-	श्री विनोद प्रसाद बडोनी	रा०उ०प्रा०वि० बरनू, थौलधार, टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० साबली, चम्बा टि०ग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
3-	श्री चन्द्रमोहन रतूडी	रा०उ०प्रा०वि० पौनाड़ा, भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० घटुधार, भिलंगना टि०ग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति
4-	श्री जयचन्द पवार	रा०उ०प्रा०वि० भाल की माण्डे, जौनपुर टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० अगिण्डा, जौनपुर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
5-	श्री विजय लाल	रा०उ०प्रा०वि० कस्तल, जाखणीधार टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० ग्वालनानगर देवप्रयाग, टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
6-	श्रीमती उर्मिला चौहान	रा०उ०प्रा०वि० उनाना, देवप्रयाग टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० लम्बधार, नरेन्द्रनगर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
7-	श्री पंकज कुमार	रा०उ०प्रा०वि० घटुधार, भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० दियूली, कीर्तिनगर टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
8-	श्रीमती अनीता नौटियाल	रा०उ०प्रा०वि० खोला भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० इडियान, थौलधार टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति
9-	श्री तरशपाल सिंह	रा०उ०प्रा०वि० गवाणा भिलंग, भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० समणगांव, भिलंगना टि०ग०	17 ख (छः)	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

## कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, टिहरी गढ़वाल

आदेश सं०/प्रा०शि०-2/ 242 /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक-15, जून 2019

### अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर कार्यरत निम्नांकित प्रधानाध्यापकों का तत्काल प्रभाव से अनुरोध के आधार पर स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरण किया जाता है:-

क्र० सं०	प्रधानाध्यापक का नाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरण के फलस्वरूप नवीन विद्यालय का नाम	अनुरोध का प्रकार	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	श्री अनुसुया प्रसाद डंगवाल	रा०उ०प्रा०वि० मोटणाधार, चम्बा टि०ग०।	रा०आ०वि० नई टिहरी, चम्बा टि०ग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
2-	श्री नारायण प्रसाद सुयाल	रा०उ०प्रा०वि० चपोली, देवप्रयाग टि०ग०।	रा०उ०प्रा०वि० हटवालगांव, जौनपुर टि०ग०	17 ख (एक)	रिक्त पद के प्रति
3-	श्री शिव प्रसाद रतूडी	रा०उ०प्रा०वि० कण्डारगांव, भिलंगना टि०ग०	रा०उ०प्रा०वि० भोनाबागी, चम्बा टि०ग०	17 ख (चार)	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

1. दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा। उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुदर्शन सिंह बिष्ट)

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।

दिनांक- उक्तांकित।

पृ०सं०/ प्रा०शि०-2/ 2115-23 /वार्षिक स्थानान्तरण /2019-20  
प्रतिलिपि निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 3- मुख्य विकास अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर।
- 7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी/सम्बन्धित कोषाधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल।
- 8- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुये दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- कार्यालय आदेश गार्ड फाईल।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०),  
टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी।